



5/0 न/र/न न/र/न
05

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No.Acad.14(2307)Acad.II/MDSU/2022/

Date:
REGISTERED

The Principal,
Wiser College,
Khejadi, Teh-Hurda,
Distt-Bhilwara-311301

Subject :- Grant of Fresh Provisional Affiliation in B.A. & B.Sc. Courses for the session 2022-23.

Ref.:- Your application dated 06-01-22 and Inspection Report.

Dear Sir,

This is to inform you that on the recommendation of Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant Fresh Provisional Affiliation in B.A.-80 seats (One Section) Hindi Litt., History, Pol. Sc., Pub. Admn, Sociology, B.Sc.-70 seats (One Section) Physics, Chemistry, Maths, Botany, Zoology & Compulsory subjects for the session 2022-23 to your college subject to fulfillment of the following conditions:

1. No admissions beyond the number of seats allotted by the University will be made. Admissions of the only eligible students will be made. In case admissions over and above the number of seats allotted and admissions of the ineligible students are made, the University will not conduct the examination of such students and the entire responsibility for the same will lie with the college authorities. This should be adhered to strictly. Non-compliance will lead to strict action against the college, which may include disaffiliation.
 2. The College will follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances, Regulations, Rules and Instructions framed and amended adopted and issued by the University from time to time.
 3. The College will follow curricula Courses of Study as prescribed by the University from time to time, which will include Scheme of Examinations and conduct of examinations.
 4. The college will appoint Permanent and qualified Principal and teaching staff, sports staff, PTI etc. on full time basis selected by duly constituted Selection Committee as per University Act and norms of U.G.C. and get the same approved from the University.
 5. Building-Construction of building as per the guidelines of the University with provisions of play ground and hostel building.
 6. Library- Year wise purchases of books for Library and sufficient provisions will be made for purchase of journals, magazines.
 7. Endowment Fund: Endowment fund as provided in the University rules (as per Rule 4) will be created and University will be informed accordingly. Compliance of this point may be reported within one year of issue of affiliation letter.
 8. At least two faculty members in each subject will be appointed as per the decision of the Academic Council and Board of Management, which has already been circulated to Principals of all the affiliated colleges of the University.
 9. To provide the information as asked for by the University from time to time including Statistics etc.
 10. (a) Number of admissions will be restricted to the number of seats allotted by the University. No admission over and above the number of seats allotted will be made.
(b) No admission may be given in the subject (s)/course(s) without obtaining the affiliation in the subject (s)/course(s) concerned.
- Non-compliance will entail severe action against the college as per the letter No.31170-313 dated 23-02-2006, 29554-830 dt. 9-06-2009 & ordinance 70-A and responsibility for the same will be with the college administration.
11. No affiliated institution shall be allowed to discontinue the study of any Subject/Faculty without prior permission of the University. An application for such permission shall be made to the Registrar by the Head of the institution duly forwarded by the Management at least one full academic year in advance, giving reasons in support of the proposal.
 12. Every college not maintained by the Government shall satisfy the Board that adequate financial provision is available for its efficient maintenance. If at any time the governing body of a College be unable to run the College, it shall inform the Board at least one full academic year in advance and shall give a notice of similar duration, viz., one full academic year to the employees of the institution for termination of their services: Provided that the closure of an Institution shall be in gradual stages in respect of each course of study for which it is affiliated, starting from the first year of the course.

13. महाविद्यालय सत्र 2022-23 में बी.ए. व बी.एससी. की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से 02 माह में उक्त पत्र में अंकितानुसार शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट एवं कमियों की पूर्ति कर मय दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आगामी सत्र में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70 ए के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय को निम्नानुसार कमियों की पूर्ति भी किया जाना अनिवार्य है:-
1. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में डॉ0 रामजीलाल सेठी को प्राचार्य के रूप में दर्शाया गया है जो कि पीएचडी उपाधिधारक हैं तथा 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव नहीं होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी नहीं हैं। योग्यताधारी प्राचार्य की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
 2. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में बी.ए. पाठ्यक्रम 80 सीट एक सैक्शन हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार आवंटित 05 विषयों के लिए 05 शिक्षकों के विरुद्ध 07 शिक्षक नियुक्त दर्शाये गये हैं जिनमें से राजनीति विज्ञान विषय में प्राचार्य को शिक्षक के रूप में नियुक्त दर्शाया गया है जो नैट उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर योग्यताधारी नहीं हैं तथा अंग्रेजी साहित्य एवं कम्प्यूटर विषय हेतु शिक्षक नियुक्त दर्शाये गये हैं परन्तु दोनों विषय आवंटित नहीं होने के आधार पर इन शिक्षकों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है। शेष शिक्षक नैट/सैट उत्तीर्ण होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी हैं। राजनीति विज्ञान विषय में निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। योग्यताधारी शिक्षक की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
 3. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में बी.एससी. पाठ्यक्रम 70 सीट एक सैक्शन हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार आवंटित 05 विषयों के लिए 05 शिक्षकों के विरुद्ध 05 शिक्षक नियुक्त दर्शाये गये हैं जो नैट/सैट उत्तीर्ण होने के आधार पर निर्धारित योग्यताधारी हैं किन्तु भौतिक शास्त्र में नियुक्त शिक्षक का नैट प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 4. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में निर्धारित मानदण्डानुसार बी.ए. पाठ्यक्रम 80 सीट एक सैक्शन हेतु 40 शीर्षकों की 200 पुस्तकों के विरुद्ध 35 सैट पुस्तकों के क्रय बिल एवं परिग्रहण पंजिका के अनुसार 139 पुस्तकें क्रय की गई हैं एवं बी.एससी. पाठ्यक्रम में 70 सीट एक सैक्शन हेतु 40 शीर्षकों की 200 पुस्तकों के विरुद्ध 30 सैट पुस्तकों के क्रय बिल एवं परिग्रहण पंजिका के अनुसार 127 पुस्तकें क्रय की गई हैं निर्धारित मानदण्डानुसार कम पुस्तकें क्रय की गई हैं। निर्धारित मानदण्डानुसार पुस्तकें क्रय किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानदण्डानुसार पुस्तकें क्रय कर क्रय बिल एवं परिग्रहण पंजिका की सत्यापित प्रति भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 5. महाविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रति विषय 02 जर्नल्स क्रय संबंधी एवं अनु. जाति/अनु. जनजाति छात्रों हेतु बुक बैंक की सुविधा बाबत कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 6. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में प्राचार्य सहित नियुक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय द्वारा वॉछित मूल शपथ एवं आई.डी. प्रूफ की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत की गई हैं किन्तु लोक प्रशासन में नियुक्त शिक्षक का मूल शपथ पत्र प्राप्त नहीं है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 7. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु जारी पत्र की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में अक्षय निधि कोष हेतु नियमानुसार संस्था सचिव एवं कुलसचिव, मदसविधि, अजमेर के संयुक्त नाम से जारी राशि रु.5.00 लाख की एफडीआर बनवाकर सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 8. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में उपरोक्त पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु नियमानुसार राशि रु.2.00 लाख की बैंक गारण्टी की छाया प्रति ए.यू.स्मॉल फाईनेन्स बैंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा द्वारा जारी बैंक गारण्टी नम्बर APWIPBG221010001 दिनांक 11-04-2022 तीन वर्षों हेतु (11-04-2022 से 05-04-2025) प्रस्तुत की है। मूल बैंक गारण्टी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 9. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश 70ए के प्रावधानानुसार रु.100/- के स्टाम्प पेपर पर महाविद्यालय संस्था/ट्रस्ट का बॉण्ड विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 10. महाविद्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश क्रमांक 275 दिनांक 12-11-2021 के द्वारा सत्र 2021-22 से 2023-24 तक के क्रम में महाविद्यालय को तीन सत्रों की समाप्ति तक स्वयं के भूमि भवन में महाविद्यालय का संचालन करना होगा। पालना सुनिश्चित करें।
 11. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 में सरिता जाट, बी.लिब. को पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कुलदीप सिंह, एम.पी.एड. को शारीरिक शिक्षक नियुक्त दर्शाया गया है। यूजीसी के नवीनतम मानदण्डानुसार योग्यताधारीयों की नियुक्ति अनिवार्य है। योग्यताधारीयों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
 12. महाविद्यालय सत्र 2022-23 में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/fresh/permanent affiliation for the session 2023-24 along with the necessary fee as prescribed may be sent through proper channel (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2022. If already deposited, need not to deposit.

REGISTRAR

No.Acad.14(2307)Acad.II/MDSU/2022/ 90294-308

Date: 21/12/22

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, JLN Marg, Jaipur.
2. The Joint Secretary, Higher Education (Gr. IV) Department Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Director C.D.C. M.D.S. University, Ajmer.
4. Prof. Neeraj Bhargava, Web Administrator, MDS University, Ajmer – with the request to include the name of the above college on the University Website.
5. The C.O.F./ C.E., M.D.S. University, Ajmer. C.E. to please ensure that forms of only allotted seats may be accepted.
6. The Secretary, Sports Board, MDS University, Ajmer.
7. The A.C.P., Computer Center, MDS University, Ajmer.
8. The Dy. Registrar/Section Officers, (Secy./Exam. UG Arts/Science), M.D.S. University, Ajmer.
9. P.S. to Vice-Chancellor,/P.A. to Registrar/Cashier, (Cash Receipt), M.D.S. University, Ajmer.

REGISTRAR (ACAD.II)